



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

प्रभावी पैरवी कर हत्या के अभियोग में 03 अभियुक्त को आजीवन कारावास व 57,000/- रुपए के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना मौदहा में पंजीकृत मु0अ0सं0- 267/17 धारा-302/34,201,394,411 भा0द0सं0 में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय डॉकेती कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1. पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र झाम सिंह 2. मूलचन्द्र उर्फ मुल्लू श्रीवास पुत्र बिटोला श्रीवास 3. कामता उर्फ अजय सिंह पुत्र मलखान सिंह निवासीगण ग्राम-खण्डेह थाना मौदहा जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास व 57,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक
एडीजीसी मणिकर्ण
शुक्ल



विवेचक-
निरी0 प्रवेन्द्र कुमार
सिंह



पैरोकार- थाना मौदहा
का0 शुभम यादव